न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/273
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 48/2023

1. किशना पुत्र भूरा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. चौथमल पुत्र भूराराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती संज्या देवी पत्नी चौथूराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – **प्रार्थीगण**

बनाम

1. घासीराम पुत्र बालूराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. भगवान सहाय पुत्र मंगलचन्द, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. मुकेश पुत्र मंगलचन्द, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128
सपठित धारा 111 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 05.06.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बगवाडा, पटवार हल्का बगवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार खसरा नंबर 1195 रकबा 0.4100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.4300 हैक्टयर, के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

नम्बर 1195, 1203, के पूर्व दिशा मे स्थित खसरा नम्बर 1196, 1201, 1208 के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 तथा पश्चिम एवं उत्तरी दिशा मे प्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि है तथा दक्षिण दिशा मे अन्य राजस्व ग्राम कोटडा की सींव स्थित है। उपरोक्त आराजीयात के बाबत प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान किया जाने का आवेदन तहसीलदार आमेर के समक्ष करने पर दिनांक 14.11.2022 को सीमाज्ञान किया जाकर तहसील कर्मचारियों की टीम द्वारा सीमा चिन्ह कायम किये गये। भविष्य में सीमा चिह्न समाप्त हो सकते है, ऐसी स्थिति में पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिह्न अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 1195, 1203 के अप्रार्थीगण पडोसी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 पडौसी खातेदार होने से आपस में सीमा चिह्नो को लेकर कोई विवाद नही हो बारी–बारी से भविष्य में होने वाले विवाद से हमेशा छुटकारा पाने के लिए प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक पत्थरगढी करवाना चाहते है एवं अपनी भूमि की सीमाओं का स्थायी रूप से निर्धारण करवाना चाहता है, जिससे की भविष्य में कोई विवाद ना हो एवं मौके पर दोनो पक्षो के मध्य शांति व्यवस्था कायम रह सकें इस कारण से पुलिस इमदाद भी दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो, इस कारण से न्यायहित में प्रार्थीगण की उपरोक्त मद संख्या 1 में वर्णित भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करना आवश्यक है। सीमाज्ञान आदेश दिनांक 28.10.2022 की पालना में सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 14.11.2022 की प्रमाणित प्रति वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा तथा पडौसी खातेदारान की जमाबंदी श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा के अनुसार पडौसी काश्तकार होने तथा अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार तहसील आमेर भूमि धारी होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम बगवाडा, पटवार हल्का बगवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 1195, 1203 कुल किता 02 रकबा 0.8400 हैक्टयर के पत्थरगढी किये जाने के बाबत अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार तहसील आमेर को आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा मौके पर पत्थरगढी के समय

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

विवाद होने की संभावना को रोकने के लिए जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 व 04 की सम्यक तामिल पूर्ण होने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद नं0–1 में वर्णित कथनों को प्रार्थी स्वंय सक्षम साक्ष्य से साबित करें। परन्तु यहां यह उल्लेख करना समिचिन होगा कि खसरा नम्बर 1195 व 1203 में से 12 फीट चौडा रास्ता स्थित हैं। उक्त रास्ते के सम्बन्ध में सीविल न्यायालय द्वारा आज भी प्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त रास्ते में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालने हेतू पाबन्द किया हुआ है जो माननीय उच्च न्यायालय तक से उक्त आदेश यथावथ रहे है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही है इसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने उक्त तथ्यो को न्यायालय से छीपाया है। प्रार्थना पत्र का मद नं0–2 गलत होने से अस्वीकार हैं। इस मद में वर्णित खसरा नम्बर के अलावा दोनो पक्षो के अन्य खसरा नम्बर भी लगवा ही स्थित हैं। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1195 व 1203 की भूमि का सीमाज्ञान रास्ते में विघ्न पैदा करने के उद्देश्य से करवाना चाहता है। यहां यह उल्लेख करना भी समिचिन होगा कि अप्रार्थीगण की ओर से मंगलचन्द के द्वारा जो अप्रार्थी संख्या 01 व 2 का भाई तथा 03 व 04 का पिता है के द्वारा एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का 12 फीट चौडा रास्ता जो बुजुर्गो के समय से ही शामलाती कुंआ खसरा नम्बर 1202 के पास से खसरा नम्बर 1201 तक आ रहा है, जो खसरा नम्बर 1224, 1206, 1203 व 1202 में से होकर स्थित हे। उक्त रास्ते के संबंध में माननीय अति० सिविल न्यायाधीश महोदय ने दिनांक 26.08.2014 को सीविल वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में वर्णित अनुसार उक्त रास्ता खसरा नम्बर 1224, 1206, 1203, 1202 में होकर चालु रास्ते को किसी प्रकार से अवरूद्ध नहीं करने, छोटा बडा नही करने उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने के संबंध में आदेश व डिकी पारित की है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण की ओर से प्रथम अपील जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई, जो दिनांक

उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर

21.01.2019 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर जिला, जयपुर द्वारा खारिज हो गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री को यथावत रखा गया। उक्त अपर जिला एंव सैशन न्यायाधीश क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर के आदेश की द्वितीय अपील प्रार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में की गई जो दिनांक 04.12.2022 को खारिज हो गयी। इस प्रकार अपर सिविल न्यायाधीश जयपुर जिला, जयपुर का अदेश व डिक्री दिनांक 26.08.2014 आज भी प्रभावी है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1195 व 1203 में स्थित रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कानूनन नहीं किया जा सकता। क्योकि उक्त खसरा नम्बर में से 12 फीट चौडा रास्ता चालू होने के सम्बन्ध में जो रास्ता मोजूद है के बाबत आदेश व डिक्री पारित किये गये है। उक्त सभी तथ्यों को प्रार्थीगण की ओर से छुपाया गया है व एक अवमानना के तहत मौजूदा प्रार्थना पत्र सही तथ्यों को अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं कर न्यायालय से सही तथ्यो को छुपाकर मात्र आवागमन के रास्ते को बाधित किये जाने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। जो भारी हर्ज सहित निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 14.11.2022 को अप्रार्थी की जानकारी में कोई सीमाज्ञान नहीं हुआ ना ही को दिनांक 14.11.2022 की सीमाज्ञान की कोई जानकारी नहीं है ना ही मौके पर सीमा चिन्ह अंकित किये गये है यदि ऐसे कोई सीमा चिन्ह बताये जाते या कोई टीम मौके पर आती तो अप्रार्थी को उसकी जानकारी जरुर होती तथा अप्रार्थी को सीमाज्ञान करने के सम्बन्ध में सूचना देते, परन्तु अप्रार्थीगण को उक्त तथाकथित सीमाज्ञान करने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई। इसका भी कोई कारण प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। यहां उल्लेख करना भी समीचिन होगा कि जब कानूनन सिविल न्यायालय के आदेश व डिक्री आज भी प्रभावी होने के बावजूद भी खसरा नम्बर 1195 व 1203 में से 12 फीट चौडा रास्ता के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये है तथा प्रार्थीगण को पाबन्द किया हुआ है तथा उक्त रास्ते के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशो के बारे में प्रार्थीगण को भलिभांति जानकारी होने के बावजूद भी उक्त आदेश व डिक्री की अवहेलना करते हुये तथा मान्य न्यायालय को गुमराह करने की नियत से प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 4 गलत व मिथ्या आधारो पर होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 1195 व 1203 में से

उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

12 फीट चौडा रास्ते के सम्बन्ध मे प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाते हुये मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है। जब अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को किसी प्रकार की सीमा चिन्हो की जानकारी नहीं है तथा ना ही उक्त सीमा चिन्हों के सम्बन्ध में कोई नोटिस दिये गये है तथा मौके पर ऐसे कोई सीमाचिन्ह भी नही दर्शाये गये है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण के द्वारा मात्र रास्ते को अवरुद्ध करने की गरज से प्रार्थीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अनावश्यक रुप से विवाद का विषय बनाकर उक्त झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तथा झूठे तथ्य अंकित करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर सिविल न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय के आदेशो की अव्हेलना करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्राथना पत्र को पढ़ने मात्र से ही स्पष्ट है। खसरा नम्बर 1195 व 1203 में किसी प्रकार की पत्थगढी रास्ते की भूमि में नहीं की जा सकती तथा उक्त 12 फीट चौडी रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय तक के आदेश व डिक्री पारित की गई है जिसकी प्रार्थीगण को अव्हेलना करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार इस मद में पुलिस इमदाद के कथन अनावश्यक सीविल न्यायालय के आदेशो की अव्हेलना करने के उद्देश्य अंकित कर माननीय न्यायालय को प्रार्थीगण गुमराह करना चाहा रहें है। जिसका प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थना पत्र भारी हजे सहित निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अप्रार्थीगण की जानकारी में दिनांक 14.11.2022 को कोई सीमाज्ञान की कार्यवाही नहीं हुयी ना ही रास्ते की भूमि में कानूनन हो सकती है। रिकॉर्ड के तथ्य प्रार्थीगण स्वयं आपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित करें। यह कि अन्तिम चरण प्रार्थना है जो गलत है खसरा नम्बर 1195 व 1203 की भूमि में से 12 फीट चौडा रास्ता स्थित है, जिसे प्रार्थीगण अवरुद्ध करने के उद्देश्य से मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। कानूनन सिविल न्यायालय के आदेश व डिक्री की अवहेलना कारित नहीं की जा सकती है तथा रास्ते की भूमि में पत्थरगढ़ी भी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण मान्य न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से नहीं आया है तथा सही तथ्यो को छुपाते हुये मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। कानून का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आता है वह न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन

उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर

अधिकारी नहीं। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्र क्रमांक भू.अ./1885 दिनांक 01.03.2024 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार है:– ग्राम बगवाडा के आराजी ख0न0 1195 रकबा 0.41 है0, ख0न0 1203 रकबा 0.43 है0 कि खातेदारी किशना पुत्र भूरा हि0 1/4 चौथमल पुत्र भूराराम हि0 1/2, श्रीमति संज्या देवी पत्नि चौथूराम हि0 1/4 जाति बागडा ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम बगवाडा के आराजी ख0न0 1195, 1203 की पश्चिमी व उत्तरी सीमा पर दर्ज खसरा नम्बर 1194, 1204, 1206 की पश्चिमी व उत्तरी सीमा पर दर्ज ख0न0 1194, 1204, 1206 प्रार्थीगण 1 व 2 की सहखातेदारी व पूर्वी सीमा पर दर्ज खसरा नम्बर 1196, 1201, 1208 अप्रार्थीगण के साथ बैंक रहन के साथ दर्ज रिकार्ड है। दक्षिणी सीमा राजस्व ग्राम कोटडा प.म. दौलतपुरा की सीमा लगती है। ख0न0 1195, 1203, 1194, 1204, 1206, 1196, 1201, 1206 की जमाबंदी व नक्शा की प्रतिलिपी संलग्न है।

::– **आदेश** –::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि :–

01. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1195, 1203 कुल किता 02 रकबा 0.8400 हैक्टयर वाके ग्राम बगवाडा, पटवार हल्का बगवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये
02. तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रकिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।

03. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खडी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

04. तहसीलदार, आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तांतरण नही करें।

05. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। कब्जा संबंधी मामलो में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

06. मौके पर प्रचलित रास्ते को पत्थरगढी की प्रक्रिया के माध्यम से बाधा नहीं पहुँचायी जावें।

आज दिनांक 05.06.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर